



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक- 22.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 684/24 धारा 140(3) तरमीम धारा 140(1)/238/103(1)/3(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक रस्सी, एक ईको कार नं0 DL-5CN-7645 व मोबाइल फोन तथा मृतक का पर्स जिसमें आधार कार्ड की छाया प्रति व एक फोटो बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.10.2024 को थाना बडौत पर वादी साजिद पुत्र यामीन निवासी छपरौली चुंगी किदवईनगर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसका भाई इमरान दिनांक 16/10/2024 को



समय 17.00 बजे घर से बिना बताये कही चला गया जो अभी तक वापस नहीं आया है, जो काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 684/24 धारा 140(3) BNS पंजीकृत किया गया ।

नोट- दिनांक 18.10.2024 को गुमशुदा इमरान का शव थाना गढीपुखता जनपद शामली से बरामद हुआ, जिसके आधार पर अभियोग को धारा 140(3) बीएनएस से धारा 140(1)/238/103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 684/24 धारा 140(3) तरमीम धारा 140(1)/238/103(1)/3(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक रस्सी, एक ईको कार नं0 DL-5CN-7645 व मोबाइल फोन तथा मृतक का पर्स जिसमें आधार कार्ड की छाया प्रति व एक फोटो बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि मृतक इमरान पुत्र यामीन निवासी छपरौली चुंगी किदवईनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने हमें जनपद शामली में ढाई लाख रुपये में एक व्यक्ति की हत्या करने की सुपारी दी थी। दिनांक 16.10.2024 को हम तीनों व शाहरुख ईको कार में बडौत से इमरान को लेकर वहां पहुंचे तथा वहां जाकर हमने मृतक इमरान से पैसे मांगे तो इमरान ने रुपये बडौत जाकर देने को कहा। इसी बात को लेकर हम लोगों में झगडा हो गया और छीना झपटी में तमंचे से गोली चल गयी थी जो शाकिब के हाथ में लग गयी और हमने इमरान का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को रास्ते में थाना गढीपुख्ता क्षेत्र में फेंक दिया और वहां से भाग गये थे।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक रस्सी, एक ईको कार नं0 DL-5CN-7645 व मोबाइल फोन।
- मृतक का पर्स जिसमें आधार कार्ड की छाया प्रति व एक फोटो।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रिहान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बुढ़ेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-दिलदार पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बुढ़ेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-शाकिब पुत्र पप्पू निवासी ग्राम बुढ़ेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री मधुर श्याम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-है०का० 629 भारत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-है०का० 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



साइबर क्राइम के बचाव हेतु जनहित में जारी सूचना-

कृपया ध्यान दें -

वर्तमान में कुछ APK FILE (Application) जैसे- PM. HealthCard_Applly.apk तथा Pm Kishan samanya Nidhi Yojna List 2024 के नाम से या हो सकता है कि किसी अन्य नाम से इस तरह की Malicious apk files/लिंक आपके व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति द्वारा शेयर की जा रही हैं। इस तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड / ओपन / इन्सटॉल न करें क्योंकि इस फाइल को ओपन करने से आपका फोन / व्हाट्सएप हैक हो जायेगा, जिससे आपके फोन की निजी जानकारी जैसे फोटो, वीडियो, कान्टेक्ट लिस्ट, फोन पे / यूपीआई आदि की जानकारी हैकर के पास चली जायेगी जिससे वह इनका दुरुपयोग कर सकता है।



HACKED

बागपत पुलिस द्वारा जनहित में जारी।



ALERT



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 22.10.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 197/2024 धारा 305(A) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु) व 24,700 रुपये नगद तथा एक अवैध चाकू बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.10.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सचिन कुमार पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी अज्ञात चोर द्वारा उसके मौहल्ले में रहने वाले मुकेश कुमार के घर से नगदी व गहने चोरी



कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 197/2024 धारा 305(A) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु) व 24,700 रुपये नगद तथा एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनीत पुत्र नबाव निवासी तिल की मडईयां थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु) व 24,700 रूपये नगद ।
- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 576/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

2-मु0अ0सं0 243/24 धारा 380/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3-मु0अ0सं0 260/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

4-मु0अ0सं0 285/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 22.10.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कटी हुई 05 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान



02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कटी हुई 05 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 353/24 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-जुबैर पुत्र इंतेजार निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद वागपत ।
- 2-फुरकान पुत्र उम्मैद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- कटी हुई 05 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 22.10.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-संजय पुत्र ओमी निवासी सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-वसीम पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला प्रेमपुरी कस्बा खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-विशाल पुत्र वीरसैन निवासी मौहल्ला घास मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना खेकडा ।
- 2-उ०नि० श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा ।
- 3-का० 24 तरुण कुमार थाना खेकडा ।
- 4-का० 535 अतुल कुमार थाना खेकडा ।
- 5-का० 555 रवि कुमार थाना खेकडा ।
- 6-का० 607 कपिल कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 22.10.2024

**थाना रमाला पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के कुल 45 अभियोग में बरामद
1426 लीटर अवैध शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में-**

कार्यवाही-

दिनांक 22.10.2024 को मा० न्यायालय के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक के आबकारी अधिनियम के कुल 45 अभियोग में बरामद 1426 लीटर अवैध शराब को नायब तहसीलदार छपरौली, क्षेत्राधिकारी बडौत, प्रभारी निरीक्षक रमाला व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 बडौत की उपस्थिति में नष्ट किया गया ।





प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 22.10.2024

थाना छपरौली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 600 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा



सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 600 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1-बिट्टू पुत्र वीरेन्द्र निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-विकास पुत्र सहेन्द्र निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते व 600 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली ।
- 2-का0 976 लवकुश थाना छपरौली ।
- 3-का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 22.10.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आशोक पुत्र जयपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-जितेन्द्र पुत्र जयपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-अख्तर पुत्र नजीर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-सुमितवीर पुत्र जगदीश निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-युसूफ पुत्र सुदे निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-खलील पुत्र हफीजूल्ला निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 7-अमजद पुत्र अय्यूब निवासी रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्या थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 294 नरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-का0 1001 इमरान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-का0 579 कौशल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 22.10.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजवीर सिंह पुत्र हेमराज निवासी ग्राम बौढा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली।

2-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली।

3-का0 1028 मुरली थाना छपरौली।



दिनांक 22.10.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली



पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मौसिन पुत्र अली हसन निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-सोमदेव पुत्र इलम चन्द निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री शिव सिंह मीणा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 669 रामकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत ।



दिनांक 22.10.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

रणवीर पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम बौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली ।

2-का0 1028 मुरली थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक -22.10.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार



किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

सैंकी पुत्र दिनेश निवासी ग्राम किशनपुर बराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 1076 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।